अध्याय V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस0पी0एस0ई0)

यह अध्याय बिहार में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस0पी0एस0ई0) के अन्तर्गत उन सरकारी कम्पनियों को शामिल किया गया है जिनमें राज्य सरकार की धारिता 51 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा इनमें ऐसी सरकारी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ भी शामिल है। राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संविधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगमों और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व वाली या नियंत्रित अन्य कम्पनियों को भी एस0पी0एस0ई0 के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी को इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में दर्शाया गया है।

राज्य में मार्च 2021 तक एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या 79 थी, जिसमें 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 एवं 42 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 थी। विगत तीन वर्षों यथा 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 तक के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर इस अध्याय में कुल 18 एस0पी0एस0ई0 (15 सरकारी कम्पनियाँ, एक सांविधिक निगम तथा दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) को शामिल किया गया है। शेष 61[36] एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए बकाया थे या निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि लेखाओं के बकाया रहने के कारण वर्ष 2020–21 के लिए इन एस0पी0एस0ई0 द्वारा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक योगदान एवं अर्जित लाभ/वहन की गई हानि सहित उनकी लाभप्रदता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। फलतः राजकोष में उनका योगदान राज्य विधानमंडल को भी प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

5.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

5.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अर्न्तगत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं और उस तरीके पर निर्देश देते हैं जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करनेवाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

5.1.2 इस अध्याय में क्या शामिल है

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति, जैसा कि उनके लेखाओं से प्रकट होता है, को दर्शाया गया है।

वर्ष 2020–21 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का प्रभाव इस अध्याय में दिया गया है।

[36] कुल 61 एस0पी0एस0ई0 में से, आठ अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 सहित 11 एस0पी0एस0ई0 ने अपने प्रथम लेखे को प्रस्तुत/अन्तिमीकृत नहीं किया था तथा शेष 50 एस0पी0एस0ई0, जिसमें 33 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 भी शामिल हैं, के लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बकाया थे।

5.1.3 एस0पी0एस0ई0 की संख्या

31 मार्च 2021 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 79 एस0पी0एस0ई0 थे। इनमें 72 सरकारी कम्पनियाँ, तीन सांविधिक निगम तथा चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ शामिल थी।

सरकारी कम्पनियाँ	**72**
सांविधिक निगम	**3**
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	**4**
कुल एस0पी0एस0ई0	**79**

इनमें से, 18 एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय निष्पादन का सारांश इस अध्याय में शामिल किया गया है और इन एस0पी0एस0ई0 की प्रकृति को **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 का कार्यक्षेत्र और प्रकृति

एस0पी0एस0ई0 की प्रकृति	एस0पी0 एस0ई0 की कुल संख्या	अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 की संख्या वर्ष तक के लेखे				इस अध्याय में शामिल नहीं किए गए एस0पी0एस0ई0 की संख्या
		2020–21	2019–20	2018–19	कुल	
कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	30	2	10	2	14	16
सांविधिक निगम	3	0	1	0	1	2
सरकारी कम्पनियों / निगमों की कुल संख्या	**33**	**2**	**11**	**2**	**15**	**18**
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	4	0	0	2	2	2
कार्यशील एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या	**37**	**2**	**11**	**4**	**17**	**20**
अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	42	0	1	0	1	41
अकार्यशील सांविधिक निगमें	-	-	-	-	-	-
अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या	**42**	**0**	**1**	**0**	**1**	**41**
कुल	**79**	**2**	**12**	**4**	**18**	**61**

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

2020–21 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों/सांविधिक निगमों के विवरण ***परिशिष्ट 5.1*** में दिये गये है।

31 मार्च 2021 तक का इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय निष्पादन का सारांश (सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें)

एस0पी0एस0ई0 की संख्या	**79**
शामिल किए गए एस0पी0एस0ई0	**18**
प्रदत्त पूँजी (18 एस0पी0एस0ई0)	**₹ 38,807.43 करोड़**
दीर्घावधि ऋण (10 एस0पी0एस0ई0)	**₹ 6,990.69 करोड़**
शुद्ध लाभ (नौ एस0पी0एस0ई0)	**₹ 724.17 करोड़**
शुद्ध हानि (पाँच एस0पी0एस0ई0)	**₹ 3,213.13 करोड़**
शून्य लाभ/हानि (चार एस0पी0एस0 ई0)[37]	
घोषित लाभांश (एक एस0पी0एस0ई0)	**₹ 6.02 करोड़**[38]
टर्नओवर (18 एस0पी0एस0ई0)	**₹ 19,352.10 करोड़**
निवल मूल्य (18 एस0पी0एस0ई0)	**₹ 20,568.55 करोड़**

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के *अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित*)

इस अध्याय में ***परिशिष्ट 5.2*** में दर्शाए गए 61 एस0पी0एस0ई0 शामिल नहीं है।

[37] 18 एस0पी0एस0ई0 में से 2020–21 के दौरान चार एस0पी0एस0ई0 ऐसे थे जिन्होंने लाभ अर्जित अथवा हानि वहन नहीं किया था क्योंकि या तो उनका कारोबार शुरू नहीं हुआ था या उनके लाभ/कुल व्ययों को उनके अनुषंगी कम्पनियों में बाँट दिया गया था या लाभ को लाभार्थियों में वितरित कर दिया गया था। एस0पी0एस0ई0 के संबंध में जहाँ किसी विशेष वर्ष के लेखे 30 सितम्बर 2021 के पूर्व प्राप्त नहीं हुए थे, वहाँ आँकड़े उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे अर्थात 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 से लिए गए हैं।

[38] वर्ष 2018–19 के दौरान।

5.1.4 राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

इस अध्याय में शामिल 18 एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एस0पी0एस0ई0 की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2021 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की अवधि के लिए एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर एवं बिहार राज्य के जी0एस0डी0पी0 का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2: एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर एवं बिहार के जी0एस0डी0पी0 का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018–19			2019–20			2020–21		
	ऊर्जा	गैर–ऊर्जा	कुल	ऊर्जा	गैर–ऊर्जा	कुल	ऊर्जा	गैर–ऊर्जा	कुल
टर्नओवर	15,077.91	2,028.31	17,106.22	17,077.90	2,021.84	19,099.74	17,330.26	2,021.84	19,352.10
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	-	-	-	13.26	(-)0.32	11.65	1.48	0.00	1.32
बिहार राज्य का जी0एस0डी0पी0	5,27,976			5,94,016			6,18,628		
जी0एस0डी0पी0 में पिछले वर्ष के जी0एस0डी0पी0 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	-			12.51			4.14		
टर्नओवर का बिहार के जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशत	2.86	0.38	3.24	2.87	0.34	3.22	2.80	0.33	3.13

(स्रोत: बिहार सरकार के जी0एस0डी0पी0 आँकड़ों तथा एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर आँकड़ों के आधार पर संकलित)

ऊर्जा क्षेत्र के आठ एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर 2018–19 के ₹ 15,077.91 करोड़ से बढ़कर 2020–21 में ₹ 17,330.26 करोड़ हो गया। 2018–19 से 2020–21 के दौरान टर्नओवर की वृद्धि दर 1.32 प्रतिशत तथा 11.65 प्रतिशत के मध्य रही जबकि जी0एस0डी0पी0 का वृद्धि दर इसी अवधि में 4.14 प्रतिशत तथा 12.51 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले दो वर्षों के दौरान जी0एस0डी0पी0 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर[39] 8.24 प्रतिशत रही। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर विभिन्न समयावधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जी0एस0डी0पी0 के 8.24 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के विरूद्ध ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर में पिछले दो वर्षों में 7.21 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप जी0एस0डी0पी0 में ऊर्जा क्षेत्र के इन एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2.86 प्रतिशत से घटकर 2.80 प्रतिशत हो गई।

पुनः, 10 गैर–ऊर्जा एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर 0.32 प्रतिशत घटकर 2018–19 के ₹ 2,028.31 करोड़ से 2020–21 में ₹ 2,021.84 करोड़ हो गया। पिछले दो वर्ष के दौरान जी0एस0डी0पी0 के 8.24 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के मुकाबले इन एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर में 0.16 प्रतिशत की नकारात्मक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

5.2 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

31 मार्च 2021 के अन्त तक 18 सरकारी कम्पनियों और निगमों में अंश पूँजी और ऋणों में निवेश की राशि को **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है:

[39] चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर = [{(2020–21 का मूल्य/2018–19 का मूल्य)^(1/2 वर्ष)} –1]×100।

तालिका 5.3: सरकारी कम्पनियों और निगमों में अंश पूँजी एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2021 तक		
	अंश पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	कुल	अंश पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	कुल
राज्य सरकार	38,386.13	1,897.21	40,283.34	38,419.14	1,897.21	40,316.35
केन्द्र सरकार	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00
अन्य	295.28	4,856.68	5,151.96	328.29	5,093.48	5,421.77
कुल निवेश	**38,741.41**	**6,753.89**	**45,495.30**	**38,807.43**	**6,990.69**	**45,798.12**
कुल निवेश में राज्य सरकार के निवेश का प्रतिशत	99.08	28.09	88.54	99.00	27.14	88.03

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.2.1 अंश पूँजी धारिता

2020–21 के दौरान, इस अध्याय में शामिल किए गए 18 एस0पी0एस0ई0 में अंकित मूल्य पर कुल अंश पूँजी धारिता में ₹ 66.02 करोड़[40] की निवल वृद्धि दर्ज की गई थी। अंकित मूल्य पर राज्य सरकार की अंश पूँजी धारिता 2019–20 के ₹ 38,386.13 करोड़ से बढ़कर 2020–21 में ₹ 38,419.14 करोड़ हो गई।

सरकारी कम्पनियों और निगमों में 31 मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य और अन्य द्वारा अंश पूँजी में धारिता को **चार्ट 5.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.1: एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी निवेश

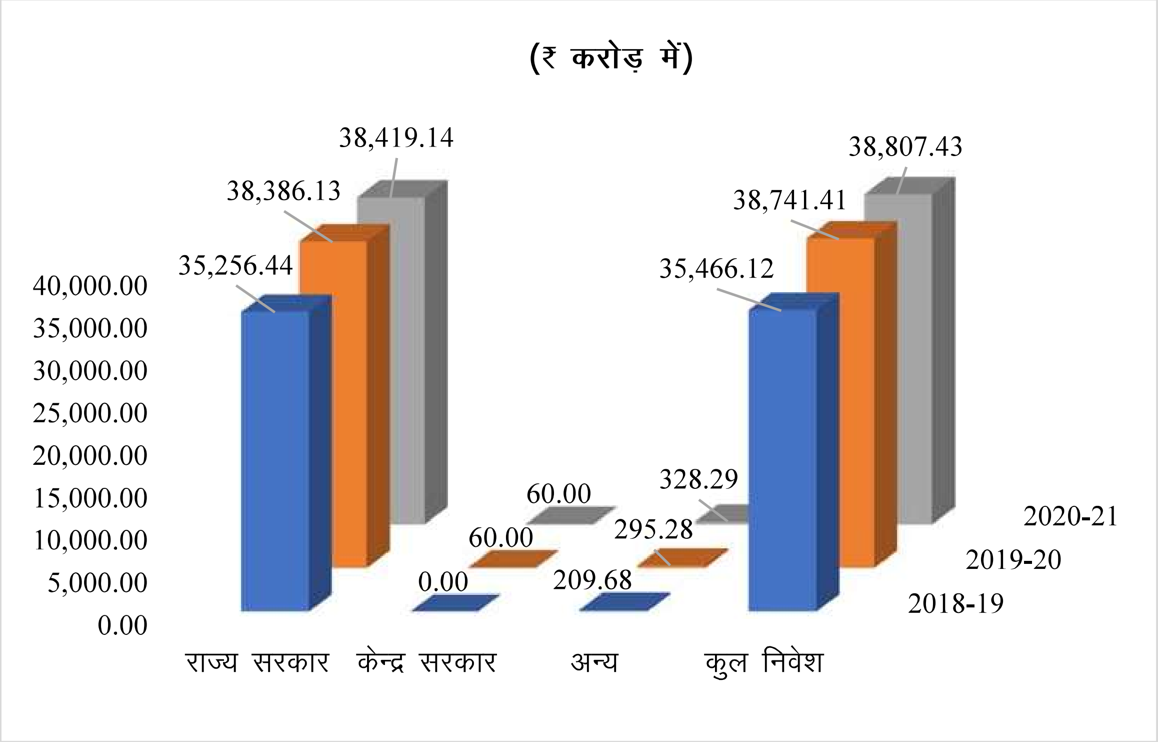

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

अंश पूँजी में ₹ 38,419.14 करोड़ के निवेश में से राज्य सरकार ने ₹ 38,246.11 करोड़ का निवेश ऊर्जा क्षेत्र में किया है। वर्ष 2020–21 तक राज्य सरकार द्वारा एस0पी0एस0ई0 के प्रदत्त पूँजी में किए गए महत्वपूर्ण निवेश का विवरण **तालिका 5.4** में दर्शाया गया है:

---

[40] ₹ 66.02 करोड़ में से 50 प्रतिशत अर्थात ₹ 33.01 करोड़ का निवेश बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड में किया गया।

तालिका 5.4: राज्य सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश धारिता

एस0पी0एस0ई0 का नाम	विभाग का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	18 एस0पी0एस0ई0 में कुल निवेश के विरूद्ध धारिता का प्रतिशत
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0)	ऊर्जा	12,267.96	31.93
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0)	ऊर्जा	11,653.84	30.33
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0टी0सी0एल0)	ऊर्जा	7,949.99	20.69
बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0जी0सी0एल0)	ऊर्जा	4,812.96	12.53
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0)	ऊर्जा	1,271.06	3.31
बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी0एस0एफ0सी0)	उद्योग	39.95	0.10

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में निवेश

सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को **तालिका 5.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.5: सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में अंश पूँजी की संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	प्रदत्त पूँजी			कुल प्रदत्त पूँजी
		बिहार सरकार	भारत सरकार	अन्य	
1	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.05	**0.10**
2	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.05	**0.10**
	कुल	**0.10**	**0.00**	**0.10**	**0.20**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के *अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित*)

5.2.2 राज्य सरकार की कम्पनियों तथा निगमों को दिया गया ऋण

5.2.2.1 31 मार्च 2021 को बकाया दीर्घावधि ऋणों की गणना

31 मार्च 2021 को 18 एस0पी0एस0ई0 में से 10[41] में सभी स्रोतों से बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹ 6,990.69 करोड़ था। शेष आठ एस0पी0एस0ई0 के पास कोई दीर्घावधि ऋण 31 मार्च 2021 को नहीं था। एस0पी0एस0ई0 के बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण **तालिका 5.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.6: एस0पी0एस0ई0 में दीर्घावधि ऋण

(₹ करोड़ में)

ऋण का स्रोत	2018–19	2019–20	2020–21
राज्य सरकार	1,771.84	1,897.21	1,897.21
केन्द्र सरकार	0.00	0.00	0.00
अन्य[42]	3,436.76	4,856.68	5,093.48
कुल निवेश	**5,208.60**	**6,753.89**	**6,990.69**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

[41] बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0टी0सी0एल0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0), बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (बी0जी0सी0एल0), बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0ए0आई0डी0सी0एल0), पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (पी0एस0सी0एल0), बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (बी0एस0ई0एफ0सी0एल0), पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (पी0एम0आर0सी0) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी0एस0एफ0सी0)।

[42] अन्य स्रोत से ऋण के आँकड़े में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन, बैंक एवं बिहार अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी से लिए गए ऋण शामिल है।

वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण में ₹ 125.37 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई थी जबकि अन्य स्रोतों से ऋण में ₹ 1,656.72 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई थी। 31 मार्च 2021 तक कुल ऋण में राज्य सरकार का ऋण ₹ 1,897.21 करोड़ (27.14 प्रतिशत) था।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल ऋण का ₹ 1,240.33 करोड़ (65.38 प्रतिशत) ऊर्जा कम्पनियों के पास बकाया था तथा शेष (₹ 656.88 करोड़) अन्य कम्पनियों के पास था, जबकि अन्य स्रोतों से ऋणों (₹ 5,089.90 करोड़) का 99.93 प्रतिशत ऊर्जा कम्पनियों से सम्बन्धित था।

बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा मूलधन तथा ब्याज की राशि का पुनर्भुगतान पिछले तीन वर्षों के दौरान नहीं किया गया था।

5.2.2.2 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों के प्रति कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों में से एक है कि क्या कम्पनी अपने समस्त ऋण चुकाने में समर्थ है। ऋण चुकाने योग्य माने जाने के लिए एक इकाई की परिसंपत्ति का मूल्य उसके ऋण/कर्ज की राशि से अधिक होना चाहिए। 10 एस0पी0एस0ई0, जिनके पास 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण थे, में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर दीर्घावधि ऋणों का कवरेज **तालिका 5.7** में दर्शाया गया है :

तालिका 5.7: कुल परिसंपत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋणों का कवरेज

(₹ करोड़ में)

एस0पी0एस0ई0 की प्रकृति	सकारात्मक व्याप्ति				नकारात्मक व्याप्ति			
	एस0पी0 एस0ई0 की संख्या	दीर्घावधि ऋण	संपत्ति	ऋणों के विरूद्ध संपत्ति का प्रतिशत	एस0पी0 एस0ई0 की संख्या	दीर्घावधि ऋण	संपत्ति	ऋणों के विरूद्ध संपत्ति का प्रतिशत
सांविधिक निगमें	-	-	-	-	1	228.47	209.72	91.79
सरकारी कम्पनियाँ	8	6,731.24	1,15,347.92	1,713.62	1	30.98	25.35	81.83
कुल	**8**	**6,731.24**	**1,15,347.92**	**1,713.62**	**2**	**259.45**	**235.07**	**90.60**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

10 एस0पी0एस0ई0 में से दो एस0पी0एस0ई0[43] के कुल संपत्ति का मूल्य बकाया दीर्घावधि ऋणों से कम था।

5.2.3 एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता

बिहार सरकार द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से एस0पी0एस0ई0 को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2021 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों के दौरान एस0पी0एस0ई0, जो इस अध्याय में शामिल किये गये है, को अंश पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी से सम्बन्धित बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.8** में दर्शाया गया है:

[43] बिहार राज्य वित्तीय निगम एवं बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

तालिका 5.8: एस0पी0एस0ई0 को दिये गये बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[44]	2018–19		2019–20		2020–21	
	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	राशि	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	राशि	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	राशि
ऊर्जा						
अंश पूँजी का व्यय (i)[45]	1	5,035.36	1	3,079.20	1	33.01[46]
प्रदत्त ऋण (ii)	4	440.78	3	116.56	-	-
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	3	7,521.42	2	6,685.17	-	-
कुल व्यय (i+ii+iii) ऊर्जा	**5**	12,997.56	4	9,880.93	1	33.01
गैर–ऊर्जा						
अंश पूँजी का व्यय (i)	1	9.50	-	-		-
प्रदत्त ऋण (ii)	1	16.00	-	-	1	600.00
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	2	400.24	1	8.81	-	-
कुल व्यय (i+ii+iii) गैर–ऊर्जा	**2**	425.74	1	8.81	1	600.00
कुल व्यय	7	13,423.30	5	9,889.74	2	633.01

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान इन एस0पी0एस0ई0 को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 633.01 करोड़ से ₹ 13,423.30 करोड़ के मध्य रही। 2020–21 के दौरान ₹ 33.01 करोड़ की अंश पूँजी का निवेश बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड में किया गया। पुनः, बजटीय सहायता के रूप में ₹ 600.00 करोड़ के ऋण का आवंटन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को बिहार स्टूडेण्ट क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के लिए विद्यार्थियों को ऋण का वितरण करने के लिए किया गया। इस राशि को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के लेखाओं में अन्य चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 सरकारी कम्पनियाँ एवं निगमों से प्रतिफल

5.3.1 एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या नौ थी। अर्जित लाभ वर्ष 2019–20 के ₹ 600.99 करोड़ से बढ़कर 2020–21 में ₹ 724.17 करोड़ हो गया था। 18 एस0पी0एस0ई0 में से चार एस0पी0एस0ई0 वर्ष 2018–19 से तथा एक एस0पी0एस0ई0 2019–20 से हानि वहन करते आ रहे थे। नौ एस0पी0एस0ई0, जिन्होंने वर्ष 2020–21 के दौरान लाभ अर्जित किया था, का निवल मूल्य ₹ 10,072.57 करोड़ था। इन नौ एस0पी0एस0ई0 का अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) वर्ष 2019–20 में नौ एस0पी0एस0ई0 के 6.10 प्रतिशत की तुलना में 7.19 प्रतिशत था। वर्ष 2020–21 में पाँच हानि वहन करने वाले एवं चार बिना लाभ/हानि वाले एस0पी0एस0ई0 सहित सभी 18 एस0पी0एस0ई0 का अंश पूँजी पर प्रतिफल (–)12.10 प्रतिशत था।

2018–19 से 2020–21 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या **चार्ट 5.2** में दर्शायी गयी हैः

[44] यह राशि केवल राज्य के बजट से व्यय दर्शाती है।

[45] बिहार सरकार ने दो डिस्कॉम्स तथा दो अनुषंगियों को उनके होल्डिंग कंपनी यथा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की ओर से प्रत्यक्ष पूँजी जारी की जिसके विरुद्ध इन अनुषंगियों ने अपनी होल्डिंग कंपनी को अंश जारी किए। अतः जारी की गई सरकारी निधि के लिए, अनुषंगियों की ओर से केवल होल्डिंग कंपनी को विचारित किया गया है। शेष एक ऊर्जा क्षेत्र का उपक्रम एक संयुक्त उपक्रम है।

[46] वर्ष 2020–21 हेतु ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 में से बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड को छोड़कर किसी अन्य के लेखे प्राप्त नहीं हुए।

चार्ट 5.2: विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों की संख्या तथा उनका अंश पूँजी पर प्रतिफल

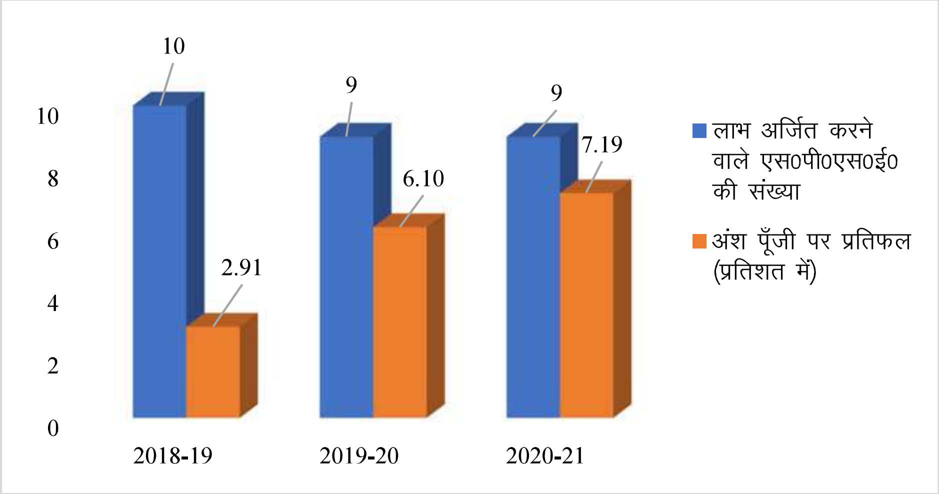

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

2020–21 के दौरान अधिकतम लाभ अर्जित करने वाले प्रक्षेत्रों को **तालिका 5.9** में दर्शाया गया हैः

तालिका 5.9: शीर्ष प्रक्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2020–21 के दौरान अधिकतम लाभ का योगदान दिया

प्रक्षेत्र	लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या	शुद्ध अर्जित लाभ (*₹ करोड़ में*)	सभी एस0पी0एस0ई0 के कुल लाभ से लाभ का प्रतिशत
ऊर्जा	2	614.98	84.92
गैर–ऊर्जा	7	109.19	15.08
कुल	**9**	**724.17**	**100.00**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

2020–21 के दौरान, ₹ 614.98 करोड़ का शुद्ध लाभ, जो कि एस0पी0एस0ई0 के कुल लाभ का 84.92 प्रतिशत था, का योगदान ऊर्जा क्षेत्र द्वारा किया गया था। वर्ष 2020–21 के दौरान अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 10 करोड़ से ज्यादा लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 की सूची को **तालिका 5.10** में दर्शाया गया है :

तालिका 5.10: एस0पी0एस0ई0 की सूची जिसने ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया

क्रम सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	लेखाओं के अंतिमीकरण का वर्ष	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)
1	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	460.16
2	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2020-21	154.82
3	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	35.78
4	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	23.57
5	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	23.86
6	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2019-20	18.58

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.3.2 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लाभांश का भुगतान

इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 के संबंध में वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान लाभांश भुगतान का विवरण **तालिका 5.11** में दिया गया हैः

तालिका 5.11: वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान एस0पी0एस0ई0 द्वारा लाभांश भुगतान

वर्ष	कुल एस0पी0एस0ई0 जहाँ बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी में निवेश किया गया		एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	बिहार सरकार द्वारा निवेशित अंश पूँजी (₹ करोड़ में)	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	एस0पी0एस0ई0 द्वारा घोषित /भुगतान किया गया लाभांश (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5x100
2018-19	17	35,256.44	10	269.51	1	6.02	2.23
2019-20	18	38,386.13	9	600.99	-	-	-
2020-21	18	38,419.14	9	724.17	-	-	-

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के *अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)*

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी जिसके तहत सभी लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 को न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना आवश्यक होता। वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान नौ से 10 एस0पी0एस0ई0 ने लाभ अर्जित किया। हालांकि, उक्त अवधि के दौरान केवल एक[47] एस0पी0एस0ई0 ने बिहार सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान किया। 2018–19 अवधि के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात 2.23 प्रतिशत थी।

5.4 ऋण शोधन

5.4.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व की आय को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 18 एस0पी0एस0ई0 में से 10[48] एस0पी0एस0ई0 में दीर्घकालिक ऋण बकाया थे। शेष आठ एस0पी0एस0ई0 के पास 31 मार्च 2021 तक कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं थे। वर्ष 2020–2021 के दौरान, केवल सात एस0पी0एस0ई0 ने अपने लेखाओं में ब्याज की राशि को प्रावधानित किया था तथा शेष तीन[49] एस0पी0एस0ई0 ने अपने लेखाओं में ब्याज की राशि को प्रावधानित नहीं किया था। वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान बकाया ऋण वाले एस0पी0एस0ई0 के सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 5.12** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.12: ब्याज व्याप्ति अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ब्याज एवं करों से पूर्व आय	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	ब्याज व्याप्ति अनुपात >= 1 वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या	ब्याज व्याप्ति अनुपात <1 वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या
सांविधिक निगमें					
2018-19	18.09	4.64	1	-	1
2019-20	17.68	36.26	1	1	-
2020-21	17.68	36.26	1	1	-
सरकारी कम्पनियाँ					
2018-19	392.64	(-)1344.01	4	2	2
2019-20	517.02	(-)1998.16	6	3	3
2020-21	591.33	(-)1764.01	6	3	3

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के *अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)*

[47] बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 6.02 करोड़ कर सहित)।

[48] बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

[49] बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य सरकार की तीन सरकारी कम्पनियों यथा साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। इससे यह पता चलता है कि मार्च 2021 तक अत्यधिक हानि वहन करने के कारण इन एस0पी0एस0ई0 की आय उनके ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह दिवालियेपन के उच्च जोखिम को भी इंगित करता है।

5.4.2 राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि–वार विश्लेषण

31 मार्च 2021 तक, बिहार सरकार द्वारा छः एस0पी0एस0ई0 को प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋणों पर ₹ 491.36[50] करोड़ का ब्याज बकाया था। एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि–वार विश्लेषण **तालिका 5.13** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.13: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	ऋण पर कुल बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम समय के लिए ऋण पर बकाया ब्याज	1–3 वर्ष के लिए ऋण पर बकाया ब्याज	3 वर्ष से अधिक समय के लिए ऋण पर बकाया ब्याज
1	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	45.39	7.66	15.32	22.41
2	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	20.40	1.65	3.30	15.45
3	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	170.38	48.93	97.86	23.59
4	बिहार राज्य वित्तीय निगम	233.92	17.68	35.36	180.88
5	बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	18.92	0.00	0.00	18.92
6	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	2.35	0.77	1.58	0.00
	कुल योग	**491.36**	**76.69**	**153.42**	**261.25**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 261.25 करोड़ का ब्याज तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था। बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस अवधि के दौरान बकाया ऋण के मूलधन के साथ–साथ ब्याज को चुकाने में भी विफल रही क्योंकि कम्पनी अकार्यशील हो गई थी जबकि बिहार राज्य वित्तीय निगम भी पुनर्भुगतान करने में विफल रही क्योंकि निगम कोई नया व्यवसाय अर्थात् नया कर्ज नहीं दे रही है जो कि इसकी आय/राजस्व का मुख्य साधन है।

5.5 सरकारी कम्पनियों की परिचालन दक्षता

5.5.1 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0सी0ई0) एक अनुपात है, जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आर0ओ0सी0ई0 की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई0बी0आई0टी0) को नियोजित पूँजी[51] द्वारा विभाजित करके की जाती है। प्रत्येक एस0पी0एस0ई0 के आर0ओ0सी0ई0 का विवरण ***परिशिष्ट 5.1*** में दिए गए हैं। वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान 18 एस0पी0एस0ई0 का समेकित नियोजित पूँजी पर प्रतिफल **तालिका 5.14** में दर्शाया गया है:

[50] बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड ने अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया। अतः बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड की ब्याज की राशि को विचारित नहीं किया गया।

[51] नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

तालिका 5.14: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

प्रक्षेत्र	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	ई0बी0आई0टी0 (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आर0ओ0सी0ई0 (प्रतिशत में)
		2018-19		
ऊर्जा	8	(-)1,643.11	24,297.58	(-)6.76
गैर–ऊर्जा	9	120.04	1,011.52	11.87
कुल	**17**	**(-)1,523.07**	**25,309.10**	(-)**6.02**
		2019-20		
ऊर्जा	8	(-)2,256.03	25,947.01	(-)8.69
गैर–ऊर्जा	10	149.72	1,156.58	12.95
कुल	**18**	**(-)2,106.31**	**27,103.59**	(-)**7.77**
		2020-21		
ऊर्जा	8	(-)2,022.64	26,404.64	(-)7.66
गैर–ऊर्जा	10	146.50	1,154.60	12.69
कुल	**18**	**(-)1,876.14**	**27,559.24**	(-)**6.81**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के *अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित*)

यह देखा गया कि 18 सरकारी कम्पनियों और निगमों का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान कम था, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा कम्पनियों के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल में कमी थी।

5.5.2 सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आर0ओ0आर0आर0)

बिहार सरकार द्वारा 18 कम्पनियों में महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस प्रकार के निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना, केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। अतः निवेश पर प्रतिफल की गणना धन के वर्तमान मूल्य (पी0वी0) को ध्यान में रखकर की गई है ताकि बिहार सरकार द्वारा किए गए निवेश पर वास्तविक प्रतिफल को ज्ञात किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घकालिक ऋण तथा पूँजीगत अनुदान के रूप में 2014–15 से लेकर 31 मार्च 2021 तक निवेश किया गया था, जिसपर राज्य सरकार द्वारा निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है।

18 एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार के निधियों के निवेश पर वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घकालिक ऋण और पूंजीगत अनुदान को राज्य सरकार द्वारा निवेश माना गया है। इसके अलावा, उन मामलों में जहाँ एस0पी0एस0ई0 को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में अंश पूँजी में परिवर्तित कर दिया गया था, अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की अंश पूँजी में जोड़ा गया है। राजस्व अनुदान और सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई धनराशि को निवेश के रूप में नहीं माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना हेतु सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर को डिस्काउंट दर के रूप में अपनाया गया है, क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किए धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है।

इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2021 तक अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/ डिफॉल्टेड ऋण और पूंजीगत अनुदान के रूप में 18 कंपनियों में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति तथा इसी अवधि में इन्हीं

एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार के निवेश के वर्त्तमान मूल्य की समेकित स्थिति को **तालिका 5.15** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.15: 2014–15 से 2020–21 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण और सरकारी निधियों के वास्तविक प्रतिफल की दर

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई अंश पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त/ डिफाल्टेड ऋण तथा पूँजी अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल अर्जित आय	वास्तविक प्रतिफल की दर (प्रतिशत में)
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii* (100+ vi)/100}	ix={vii*vi)/100}	x	xi= (x*100/viii)
2014-15 तक	0.00	9,017.54	6,243.75	15,261.29	6.59	15,261.29	16,267.01	1,005.72	(-)906.11	(-)5.57
2015-16	16,267.01	6,931.91	1,423.49	8,355.40	6.58	24,622.41	26,242.56	1,620.15	(-)907.07	(-)3.46
2016-17	26,242.56	5,291.39	5,212.82	10,504.21	6.42	36,746.77	39,105.92	2,359.14	(-)1,312.85	(-)3.36
2017-18	39,105.92	8,970.73	222.89	9,193.62	6.13	48,299.54	51,260.30	2,960.76	(-)7,780.58	(-)15.18
2018-19	51,260.30	5,044.86	3,477.65	8,522.51	6.18	59,782.81	63,477.39	3,694.58	(-)2,455.36	(-)3.87
2019-20	63,477.39	3,129.70	1,966.80	5,096.50	5.68	68,573.89	72,468.88	3,895.00	(-)2,612.14	(-)3.60
2020-21	72,468.88	33.01	0.00	33.01	5.94	72,501.89	76,808.50	4,306.61	(-)2,488.96	(-)3.24
कुल		**38,419.14**	**18,547.40**	**56,966.54**						

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष के अंत में राज्य सरकार द्वारा इन 18 कम्पनियों में निवेशित धनराशि का शेष 2014–15 के ₹ 15,261.29 करोड़ से बढ़कर 2020–21 में ₹ 56,966.54 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने अंश पूँजी (₹ 29,401.60 करोड़) एवं पूंजीगत अनुदान (₹ 12,303.65 करोड़) के रूप में अतिरिक्त निवेश किया था। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 76,808.50 करोड़ दर्ज किया गया।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 से 2020–21 के दौरान ऊर्जा कम्पनियों द्वारा हानि वहन करने के कारण इन एस0पी0एस0ई0 की कुल अर्जित आय और वास्तविक प्रतिफल की दर नकारात्मक रही, जो यह इंगित करता है कि सरकार के निधियों की लागत वसूल करने के लिए निवेशित निधियों पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक हानियों का संचय किया है, जिससे वे व्यावसायिक रूप से अव्यवहारिक हो गए हैं।

5.5.3 एस0पी0एस0ई0 में निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0)

निवेश पर प्रतिफल[52] कम्पनियों के वित्तीय प्रदर्शन को मापने का एक उपाय है जिसकी गणना कुल निवेश से शुद्ध आय को विभाजित कर की जाती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों के लिए अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 के क्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल **rkfydk 5-16** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.16: प्रक्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल

प्रक्षेत्र	2018–19	2019–20	2020–21
ऊर्जा	(-)4.08	(-)4.97	(-)4.41
गैर–ऊर्जा	7.13	8.25	8.07
कुल	**(-)3.63**	**(-)4.46**	**(-)3.94**

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 18 सरकारी कम्पनियों और निगमों का निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान बेहतर हुआ जिसका मुख्य कारण ऊर्जा कम्पनियों में निवेश पर प्रतिफल में वृद्धि थी।

[52] निवेश पर प्रतिफल = (ब्याज, कर और अधिमान लाभांश के पूर्व शुद्ध लाभ/अंश पूँजी) × 100/निवेश। जहाँ निवेश = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घकालिक ऋण।

5.5.4 एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0)

अंश पूँजी पर प्रतिफल[53] कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन को मापने का एक उपाय है जिसकी गणना शेयरधारकों की अंश पूँजी से शुद्ध आय को विभाजित कर की जाती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों के लिए एस0पी0एस0ई0 की क्षेत्रवार अंश पूँजी पर प्रतिफल **तालिका 5.17** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.17: प्रक्षेत्रवार अंश पूँजी पर प्रतिफल

(प्रतिशत में)

प्रक्षेत्र	2018–19	2019–20	2020–21
ऊर्जा	(-)12.85	(-)13.66	(-)12.90
गैर–ऊर्जा	22.11	20.10	20.18
कुल	**(-)12.22**	**(-)12.84**	**(-)12.10**

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 18 सरकारी कम्पनियों और निगमों का अंश पूँजी पर प्रतिफल वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक नकारात्मक रही जिसका मुख्य कारण ऊर्जा कम्पनियों की हानियाँ एवं अंश पूँजी पर प्रतिफल नकारात्मक थी।

5.6 हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0 एवं पूँजी का क्षरण

5.6.1 हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0

वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या पाँच से छः के मध्य रही जिसे **तालिका 5.18** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.18: 2018–19 से 2020–21 के दौरान हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या

वर्ष	हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य[54] (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगमें				
2018-19	1	13.45	511.85	(-)423.96
2019-20	-	-	-	-
2020-21	-	-	-	-
सरकारी कम्पनियाँ				
2018-19	5	2,711.42	16,115.00	10,118.21
2019-20	5	3,213.13	19,629.17	9,223.73
2020-21	5	3,213.13	19,629.17	9,223.73
कुल				
2018-19	6	2,724.87	16,626.85	9,694.25
2019-20	5	3,213.13	19,629.17	9,223.73
2020-21	5	3,213.13	19,629.17	9,223.73

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2020–21 के दौरान पाँच एस0पी0एस0ई0 को हुई कुल ₹ 3,213.13 करोड़ की हानि में से ₹ 3,203.65 करोड़ की हानि तीन एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन की गई थी जिसकी सूची **तालिका 5.19** में दर्शायी गयी है:

---

[53] अंश पूँजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/अंश पूँजी) ×100 जहाँ अंश पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानि – स्थगित राजस्व व्यय।

[54] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त अंश पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियाँ तथा स्थगित राजस्व व्यय। मुक्त संचय का अर्थ है लाभ से बनाए गए सभी संचय और अंश प्रीमियम लेखे किंतु इसमें संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं ह्रास को वापस लेकर बनाए गए संचय सम्मिलित नहीं होते हैं।

तालिका 5.19: एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने ₹ 10 करोड़ से अधिक की हानि वहन की

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	अंतिमीकृत लेखा का वर्ष	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि
1	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	(-)1,664.84
2	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	(-)1,282.88
3	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	(-)255.93

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.6.2 सरकारी कम्पनियों में पूँजी का क्षरण

31 मार्च 2021 तक, 18 एस0पी0एस0ई0 में से 13 एस0पी0एस0ई0 (सभी कार्यशील) का निवल मूल्य सकारात्मक था। शेष पाँच एस0पी0एस0ई0, जिसमें चार[55] कार्यशील एवं एक[56] अकार्यशील थे, का निवल मूल्य नकारात्मक था। इन चार कार्यशील एस0पी0एस0ई0 तथा एक अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 का निवल मूल्य उनके संचित हानियों से पूरी तरह क्षरित हो गई थी क्योंकि इन एस0पी0एस0ई0 में 31 मार्च 2021 तक अंश पूँजी निवेश ₹ 77.96 करोड़ एवं ₹ 7.64 करोड़ के विरूद्ध निवल मूल्य क्रमशः (–) ₹ 405.51 करोड़ एवं (–) ₹ 182.31 करोड़ थी। दो[57] एस0पी0एस0ई0 का निवल मूल्य उसके प्रदत्त पूँजी के आधे से भी कम थी और एक एस0पी0एस0ई0 अर्थात नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का निवल मूल्य 31 मार्च 2021 के अंत में ₹ 11,653.84 करोड़ के अंश पूँजी निवेश के विरूद्ध ₹ 6,482.83 करोड़ (55.63 प्रतिशत) थी, जो उसकी वित्तीय क्षमता की रूग्णता को दर्शाता है।

5.7 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 का समापन

31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की संख्या नीचे दी गई है :

तालिका 5.20: अकार्यशील एस0पी0एस0ई0

विवरण	2018–19	2019–20	2020–21
अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की संख्या	42	42	42
इनमें से, समापन की प्रक्रिया के अधीन एस0पी0एस0ई0 की संख्या	5	5	5

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा0क्षे0उ0), बिहार सरकार तथा परिशिष्ट–5.2 में वर्णित सूचना के आधार पर संकलित)

2020–21 में दर्शाये गये सभी 42 एस0पी0एस0ई0, पाँच वर्षों से अधिक समय से अकार्यशील थे। अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका 5.21: अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की स्थिति

कम सं0	स्थिति	एस0पी0एस0ई0 की संख्या
1	परिसमापन की प्रक्रिया में	5
2	नाम हटाने के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार (आर0ओ0सी0) को आवेदन	6
3	राज्य सरकार ने न्यायालय से समापन याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया	12
4	बिहार एवं झारखण्ड के मध्य संपत्तियों तथा देनदारियों का बँटवारा न होने के कारण परिसमापन की प्रक्रिया लम्बित	6
5	कम्पनी विधि न्यायाधिकरण के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन	2
6	लेखाओं के अन्तिमीकरण न होने के कारण लम्बित	1
7	सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	10
	कुल	**42**

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर संकलित)

[55] लखीसराय बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, पीरपैंती बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

[56] बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

[57] बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

बिहार सरकार 32 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0[58] को समाप्त करने का निर्णय पूर्व में ही ले चुकी है और ये परिसमापन की विभिन्न अवस्था में है। हालाँकि, शेष 10 एस0पी0एस0ई0 के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के लेखे एक[59] वर्ष से 44[60] वर्षों (प्रारंभ से ही) तक बकाया में थे। इन अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की व्यवहार्यता भी संदिग्ध है क्योंकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में इन अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 का कोई योगदान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, इन अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के लगातार अस्तित्व में बने रहने से कर्मचारियों एवं स्थापना व्यय के रूप में राजकोष पर व्यापक बोझ पड़ता है।

5.8 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को बजटीय सहायता जिनके लेखे बकाये थे

कम्पनी अधिनियम, 2013 में यह निर्धारित किया गया है कि कम्पनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने के भीतर अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक अंतिम रूप से तैयार कर लेना है। समय पर लेखा तैयार कर प्रस्तुत करने मे विफलता कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी बनाती हैं।

सरकार ने अगस्त 2021 तक 15 कार्यशील राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस0पी0एस0ई0), दो सांविधिक निगमों और 16 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे 31 मार्च 2021 तक बकाया थे, को ₹ 20,145.84 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूँजी, ऋण, अनुदान, सब्सिडी और स्वीकृत प्रत्याभूति) प्रदान की। इन एस0पी0एस0ई0 ने कम्पनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों/एस0पी0एस0ई0 के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 44 वर्षों से अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है ***(परिशिष्ट 5.3)***।

वित्त लेखे (पाँच वर्ष के आँकड़े) की जाँच के दौरान यह देखा गया कि बिहार सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड[61] में 2018–19 को छोड़कर 2016–17 से 2020–21 के दौरान नियमित रूप से निवेश किया था, जबकि कम्पनी के वार्षिक लेखे 2014–15 से बकाया हैं। कई[62] अन्य कम्पनियाँ भी थीं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए है, लेकिन विगत पाँच वर्षों से सरकार से निवेश प्राप्त कर रहे हैं।

लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0), कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं वैसे निगमों की सांविधिक लेखापरीक्षा, जैसा कि उनके अधिनियम में वर्णित है, करने में असमर्थ रहा है। लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य विधायिका के दायरे से बाहर रहते हैं और लेखापरीक्षा द्वारा जाँच से बच जाते है। नतीजतन, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, समय पर नहीं किये जा सकते हैं। धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरूपयोग के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

---

[58] 42 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 में से 32 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 परिसमापन की विभिन्न अवस्था में है।

[59] बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

[60] बिहार स्कूटर्स लिमिटेड।

[61] 2016–17: ₹ 85.11 करोड़, 2017–18: ₹ 100 करोड़, 2019–20: ₹ 91.80 करोड़, 2020–21: ₹ 35.64 करोड़।

[62] पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (2018–19: ₹ 3.00 करोड़, 2019–20: ₹ 160 करोड़, 2020–21: ₹ 50.00 करोड़), बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (2017–18: ₹ 20.00 करोड़), बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. मिटेड (2018–19: ₹ 5.00 करोड़) इत्यादि।

5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस0पी0एस0ई0) की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0) सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक प्रतिवेदन या उस पर टिप्पणी निर्गत करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों के अनुसार अपेक्षित है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा नि0म0ले0प0 द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन राज्य की विधायिका को प्रस्तुत किया जाए।

5.10 नि0म0ले0प0 द्वारा एस0पी0एस0ई0 के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार की कम्पनी के मामले में वित्तीय वर्ष शुरु होने से 180 दिनों की अवधि के अन्तर्गत नि0म0ले0प0 द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक को नियुक्त किया जाता है।

5.11 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 ससमय प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं लेन देनों पर वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक (ए0जी0एम0) के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है और उसे यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और नि0म0ले0प0 द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक टिप्पणी के साथ राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान है। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की ए0जी0एम0 आयोजित किया जाना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि एक ए0जी0एम0 और अगले ए0जी0एम0 की तिथि के मध्य 15 महीनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्दिष्ट है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण ए0जी0एम0 में उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, कम्पनी के निदेशकों सहित, पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, 30 सितम्बर 2021 तक विभिन्न एस0पी0एस0ई0 के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसके ब्यौरे आगामी कंडिकाओं में दिये गये हैं।

5.11.2 राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2021 तक, नि0म0ले0प0 के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में, 72 राज्य सरकार की कम्पनियाँ, तीन सांविधिक निगमें और चार सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ (कुल 79 एस0पी0एस0ई0) थी। इनमें से 30 सितम्बर 2021 तक सभी राज्य सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों से लेखाएँ प्राप्य थे। राज्य सरकार की दो[63] कम्पनियों ने वर्ष 2020–21 के लिए अपने लेखाओं को 30 सितम्बर 2021 को या उससे पहले नि0म0ले0प0 द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार की शेष 70 कम्पनियों, तीन सांविधिक निगमों और चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों (कुल 77 एस0पी0एस0ई0) की लेखाएँ विभिन्न कारणों से बकाया (अप्राप्त) थे।

---

[63] बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से नि0म0ले0प0, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य वित्तीय निगम और बिहार राज्य भण्डारण निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है और नि0म0ले0प0 द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखे, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक के लेखे और बिहार राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक के लेखे 30 सितम्बर 2021 तक प्रतिक्षित थे।

30 सितम्बर 2021 तक एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण **तालिका 5.22** में दिया गया है :

तालिका 5.22: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ/सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ/ सांविधिक निगमों				
	सरकारी कम्पनियाँ		सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें	कुल
31 मार्च 2021 तक नि0म0ले0प0 के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या	72		04	03	79
घटाव : एस0पी0एस0ई0 के नए उद्यम जिनके 2020–21 के लेखे देय नहीं थे	-		-	-	-
एस0पी0एस0ई0 की संख्या जिनके वर्ष 2020–21 के लिए लेखे देय (बकाया) थे	72		04	03	79
एस0पी0एस0ई0 की संख्या जिन्होंने 30 सितम्बर 2021 तक नि0म0ले0प0 के लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2020–21 के लिए लेखे प्रस्तुत किए	02		-	-	02
30 सितम्बर 2021 तक बकाया लेखाओं वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या	70		04	03	77
बकाया लेखाओं की संख्या	1,339[64]		12	11	1,362
बकाया के ब्यौरे	परिसमापनाधीन	100	-	-	100
	अकार्यशील	1,100	-	-	1,100
	कार्यशील	139	12	11	162
'कार्यशील' श्रेणी के विरूद्ध बकाया का अवधि–वार विश्लेषण	एक वर्ष (2020–21)	08	-	-	08
	दो वर्ष (2019–20 और 2020–21)	04	02	02	08
	तीन वर्ष और अधिक	127	10	09	146

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

इन कम्पनियों के नाम ***परिशिष्ट 5.4*** में दर्शाये गये हैं। कुल 77 एस0पी0एस0ई0 में 35 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 के 162 लेखे एक से 23 वर्ष के लिए बकाया थे जबकि 42 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के 1,200 लेखे एक से 44 वर्ष के लिए बकाया थे।

5.12 नि0म0ले0प0 का पर्यवेक्षण–लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप और लेखांकन मानकों हेतु राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार किया जाना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों द्वारा नि0म0ले0प0

[64] कम्पनी रजिस्ट्रार पटना के परिपत्र दिनांक 23.09.2021 के अनुसार वैसी कम्पनियाँ जो अपनी वार्षिक सामान्य बैठक (ए0जी0एम0) आयोजित करने में असमर्थ हैं, उस तिथि को जब उन कम्पनियों द्वारा ए0जी0एम0 आयोजित की जानी थी, उस देय तिथि से दो महीने का अवधि विस्तार दिया गया। अतः एस0बी0पी0डी0सी0एल0 एवं एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के वर्ष 2020–21 के लेखे जो बाद में प्राप्त हुए थे, उन्हें कम्पनी रजिस्ट्रार के परिपत्र दिनांक 23.09.2021 का अनुपालन नहीं करने के कारण बकाया माना गया है।

के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे नियमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार किया जाना अपेक्षित होता है।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत नि0म0ले0प0 द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उनपर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नि0म0ले0प0 इस उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आवंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी के माध्यम से निरीक्षक की भूमिका निभाते है। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करते हुए किया जाता है :

- ➢ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना।
- ➢ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर पूरक प्रतिवेदन देना या टिप्पणी करना।

5.12.3 एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी उस इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत नि0म0ले0प0 द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (आई0सी0ए0आई0) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा नि0म0ले0प0 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत नि0म0ले0प0 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार की चयनित कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से नि0म0ले0प0 द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

5.13 नि0म0ले0प0 की पर्यवेक्षण भूमिका के परिणाम

5.13.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं की लेखापरीक्षा

30 सितम्बर 2021 तक वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण राज्य सरकार की दो[65] कम्पनियों से प्राप्त हो गए थे। राज्य सरकार की कम्पनियों के इन दो लेखाओं की समीक्षा प्रक्रियाधीन है।

[65] बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड।

5.13.2 एस0पी0एस0ई0 पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक के रूप में जारी नि0म0ले0प0 की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

जनवरी 2021 से सितम्बर 2021 के दौरान 28 लेखाओं (21 गैर ऊर्जा एवं सात ऊर्जा) को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की उनके द्वारा लेखापरीक्षा के बाद अग्रेषित किया गया। नि0म0ले0प0 द्वारा एक लेखा पर गैर–समीक्षा प्रमाण पत्र (एन0आर0सी0) जारी की गई और शेष एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई। जनवरी 2021 से सितम्बर 2021 के दौरान नि0म0ले0प0 द्वारा 29[66] लेखाओं पर (25 गैर ऊर्जा एवं चार ऊर्जा) अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) जारी किये गये तथा नौ लेखाओं (आठ गैर ऊर्जा एवं एक ऊर्जा) पर टिप्पणी किये गये जिसमें बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2018–19 का एक लेखा सम्मिलित है जिसपर यह प्रतिकूल[67] टिप्पणी की गई कि कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी0) के अन्तर्गत सही एवं निष्पक्ष स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।

इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 की सूची जिन पर जनवरी 2021 से सितम्बर 2021 के दौरान टिप्पणियाँ जारी की गई थी, **तालिका 5.23** में दर्शाया गया है :

तालिका 5.23: इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 की सूची जिसमें नि0म0ले0प0 द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गई थी

क्रम सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	लेखा का वर्ष
1	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19
2	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19
3	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	2018-19
4	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2019-20

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं पर नि0म0ले0प0 द्वारा निर्गत किये गये टिप्पणी के आधार पर संकलित)

सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 1,521.20 करोड़ तथा सम्पत्तियों/देयताओं पर ₹ 65.71 करोड़ था, को नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

ए लाभप्रदता पर टिप्पणी

क्रम सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	टिप्पणियाँ
1	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2018–19)	➢ सेन्टेज आय पर बिहार सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण, वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 3.55 करोड़ के सेन्टेज आय की राशि का लेखांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018–19 के लिए परिचालन से प्राप्त राजस्व (सेन्टेज आय) और चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 3.55 करोड़ कम प्रतिवेदित किया गया। ➢ वर्ष 2018–19 (25.03.2019 से 31.03.2019) की अवधि के दौरान सावधि जमा पर ब्याज देय होने के बावजूद ब्याज के रूप में, ₹ 13.58 लाख की राशि का लेखांकन उस वर्ष नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अन्य आय तथा चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 13.58 लाख कम प्रतिवेदित किया गया।

[66] इन आँकड़ो में वे लेखे भी शामिल है जो कि जनवरी 2021 से पूर्व प्राप्त हुए और उनकी लेखापरीक्षा की गई तथा लेखे पर प्रतिवेदन जनवरी 2021 से सितम्बर 2021 के दौरान जारी किये गये।

[67] महत्वपूर्ण सम्बन्धित मामले तालिका ए एवं बी में दर्शाये गये है (लाभप्रदता/वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ)।

क्रम सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	टिप्पणियाँ
		➢ वर्ष 2018–19 के लिए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी0एस0आर0) निधि पर प्राप्त ब्याज राशि के रूप में ₹ 6.32 लाख की राशि को कम्पनी के आय के रूप में माना गया तथा इसे लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.32 लाख से अन्य आय को अधिक एवं सी0एस0आर0 निधि को कम प्रतिवेदित किया गया।
2	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2018–19)	➢ कम्पनी ने आई0सी0ए0आई0 के विशेष सलाहकार समिति के लाभ एवं हानि खाते में लागत जोड़ आधार पर निष्पादित कार्यों के अनुबंध व्यय से संबंधित राय को न मानते हुए परिचालन से राजस्व के रूप में प्राप्त ₹ 1,498.79 करोड़ का गलत लेखांकन किया। इसके परिणामस्वरूप परिचालन से प्राप्त राजस्व और अनुबंध व्यय को ₹ 1,498.79 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया। ➢ कम्पनी (सी0पी0आई0यू0–पटना) ने वर्ष 2018–19 के दौरान परियोजना (एस0एस0–81) पर सिविल लागत को एजेंसी एवं आकस्मिक प्रभार के रूप में लेखांकित किया परन्तु उस पर अर्जित आय का अपने खाता बही में लेखांकन नहीं किया था। परिणामतः परिचालन से प्राप्त राजस्व और कार्य प्रगति ₹ 18.22 करोड़ से कम प्रतिवेदित किया गया। ➢ कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में अस्थायी शेड (मूल्य : ₹ 0.70 करोड़) पर मूल्यह्रास से संबंधित ₹ 0.44 करोड़ की राशि भारित नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप उस वर्ष के लिए लाभ को ₹ 0.44 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया।

बी वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रम सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	टिप्पणियाँ
1	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2018–19)	➢ सेन्टेज आय पर बिहार सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण, वित्तीय वर्ष 2018–19 में 25.01.2016 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान निष्पादित परियोजनाओं पर सेन्टेज आय से संबंधित ₹ 15.28 करोड़ की राशि का लेखांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018–19 के लिए संचय एवं अधिशेष तथा चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 15.28 करोड़ से कम प्रतिवेदित किया गया। ➢ अग्रिम आय कर के रूप में कुल भुगतान की गई ₹ 25.79 करोड़ की राशि के विरूद्ध आयकर विभाग द्वारा प्रतिदाय की गई ₹ 23.82 करोड़ की राशि का गलत लेखांकन होने के परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों एवं अन्य गैर–चालू परिम्पत्तियों को ₹ 23.82 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया।

क्रम सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	टिप्पणियाँ
		➢ अल्पावधि प्रावधानों के अन्तर्गत कुल ₹ 2.04 करोड़ की राशि सी0एस0आर0 से संबंधित हैं जिनमें ₹ 0.71 करोड़ वर्तमान वर्ष के लिए तथा ₹ 1.33 करोड़ पूर्व वर्ष के लिए है। आई0सी0ए0आई0 द्वारा जारी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु व्यय के लेखांकन पर निर्देश के आलोक में सी0एस0आर0 गतिविधियों पर व्यय नहीं की जाने वाली राशि के लिए वित्तीय विवरण में कोई प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए और तत्संबंधी कारणों को निदेशकों के प्रतिवेदन में उल्लेखित किया जाना चाहिए। हालाँकि, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के तहत न तो सी0एस0आर0 गतिविधि पर कोई राशि खर्च की और न ही निदेशकों के प्रतिवेदन में इस हेतु कोई कारण बताया। ➢ 2018–19 की अवधि के दौरान कुल ₹ 7.84 करोड़ के प्राप्त विपत्र का उस वर्ष के लेखे में उपार्जित (एक्रुअल) आधार पर लेखांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कार्य प्रगति को ₹ 8.39 करोड़, व्यापार देनदारियों को ₹ 7.84 करोड़ तथा सेन्टेज आय को ₹ 0.55 करोड़ से कम प्रतिवेदित किया गया।
2	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2018–19)	➢ कम्पनी द्वारा दावा किए गए आयकर प्रतिदाय की राशि ₹ 29.11 करोड़ थी। आयकर अधिकारियों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार कम्पनी वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2014–15 के लिए ₹ 14.20 करोड़ के धनवापसी की राशि प्राप्त करने के योग्य नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.20 करोड़ की राशि से अन्य चालू परिसम्पत्ति को अधिक एवं व्यय को कम प्रतिवेदित किया गया।
3	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (2018–19)	➢ कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के लिए देय जुर्माने के रूप में ₹ 2.47 लाख का प्रावधान नहीं करने के कारण अन्य चालू देयताओं एवं लाभ को ₹ 2.47 लाख कम प्रतिवेदित किया गया। ➢ वर्ष 2018–19 में लेखांकन मानक 26 के अनुसार ₹ 8.24 लाख के प्रारंभिक व्यय को भारित नहीं करने के परिणामस्वरूप अन्य गैर–चालू परिसम्पत्ति एवं लाभ को ₹ 8.24 लाख अधिक प्रतिवेदित किया गया।
4	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (2019–20)	➢ सामान्य उपरिव्यय लागत (ओवरहेड कॉस्ट) के तहत ₹ 1.88 करोड़ की राशि, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्माण परियोजना की लागत से सम्बन्धित नहीं थी, उन्हें ''निर्माण के दौरान व्यय'' के अन्तर्गत लेखांकित किया गया। उपरिव्यय लागत के गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ से पूँजीगत कार्य प्रगति एवं लाभ को अधिक प्रतिवेदित किया गया।

सी प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्रम सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	टिप्पणियाँ
1	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (2018–19)	➢ कम्पनी ने अपने लेखाओं में बिहार सरकार के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, कि कम्पनी बिहार सरकार की ओर से बिहार स्टूडेण्ट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण पर लगने वाले ब्याज की गणना करेगी और इसे लाभार्थियों से वसूल करेगी, को प्रकट नहीं किया था।
2	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (2019–20)	➢ कम्पनी ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में भारित उधार लागत पूँजीकरण के दर का प्रकटीकरण नहीं किया। अतः कम्पनी ने भारतीय लेखा मानक 23 के तहत प्रकटीकरण से सम्बन्धित आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।

5.13.3 सांविधिक निगम

तीन सांविधिक निगमों में से, किसी भी निगम ने 2020–21 के अपने लेखाओं को 30 सितम्बर 2021 तक अंतिमीकृत और अग्रेषित नहीं किया था। इन सांविधिक निगमों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण और लेखाओं के बकाये का विवरण **तालिका 5.24** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.24: सांविधिक निगमों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण और लेखाओं के बकाये की स्थिति

क्रम सं0	निगम का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं का वर्ष	अवधि जिसके लेखे बकाया में है	बकाया लेखाओं की संख्या
1	बिहार राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	2015-16	2016-17 से 2020-21	05
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	2016-17	2017-18 से 2020-21	04
3	बिहार राज्य वित्तीय निगम	उद्योग	2018-19	2019-20 से 2020-21	02

(स्रोतः एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.14 लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानक के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कम्पनी अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने लेखा मानक एक से सात और नौ से 29 निर्धारित किया है। इनके अलावा, केन्द्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 तथा कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखा मानक (इंड–एएस) अधिसूचित किए हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि दो एस0पी0एस0ई0 ने ***परिशिष्ट 5.5*** में दर्शाये गये अनिवार्य लेखा मानकों/इंड–एएस का अनुपालन नहीं किया था। जैसा कि परिशिष्ट से देखा जा सकता है, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दो एस0पी0एस0ई0 द्वारा दो लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी मामलों को प्रतिवेदित किया।

नि0म0ले0प0 द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि तीन एस0पी0एस0ई0 ने ***परिशिष्ट 5.6*** में दर्शाये गए लेखा मानकों/इंड–एएस का अनुपालन नहीं किया जिसे उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी प्रतिवेदित नहीं किया गया था। जैसा कि परिशिष्ट में देखा जा सकता है, तीन एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखा मानकों/इंड–एएस के अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी पाँच मामले थे।

पटना **(रामावतार शर्मा)**
दिनांकः 11 अप्रैल 2022 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांकः 21 अप्रैल 2022 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**